"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 41] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 13 अक्टूबर 2006—आश्विन 21, शक 1928

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 सितम्बर 2006

क्रमांक ई-1-02/2006/एक/2.—डॉ. आलोक शुक्ला, भा.प्र.से. (1986), मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग तथा सचिव, राजस्व, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप में आगामी आदेश तक पदेन राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.

रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2006

क्रमांक ई-7/5/2006/1/2.—श्री एस. पी. शोरी, भा.प्र.से., उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग को दिनांक 5-10-2006 से 17 10-2006 तक (13 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री शोरी, आगामी आदेश तक उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री शोरी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शोरी, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विभा चौधरी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2006

फा. क्र. 11691/3(बी)/56/2005/21-ब, (मेरिट क्रमांक-56).—राज्य शासन, श्री जितेन्द्र कुमार ठाकुर आत्मज श्री बंशीराम ठाकुर को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो के पद पर अस्थायी रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2006

फा. क्र. 11693/3(बी)/50/2005/21-ब, (मेरिट क्रमांक-50).—राज्य शासन, श्री श्याम सुंदर कश्यप आत्मज श्री दिगोराम कश्यप को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो के पद पर अस्थायी रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2006

फा. क्र. 11695/3(बी)/61/2005/21-ब, (मेरिट क्रमांक-61).—राज्य शासन, कु. द्वारिका तिड़के आत्मजा श्री बृजलाल को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो के पद पर अस्थायी रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2006

फा. क्र. 11697/3(बी)/46/2005/21-ब, (मेरिट क्रमांक-46).—राज्य शासन, श्रीमती श्रद्धा सिंह आत्मजा श्री कमरोश सिंह को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो के पद पर अस्थायी रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2006

फा. क्र. 11699/3(बी)/51/2005/21-ब, (मेरिट क्रमांक-51).—राज्य शासन, कु. सरिता दास आत्मजा श्री खेलन दास को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो के पद पर अस्थायी रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2006

फा. क्र. 11701/3(बी)/57/2005/21-ब, (मेरिट क्रमांक-57).—राज्य शासन, श्री कमलेश कुमार जुर्री आत्मज श्री जेठूराम जुर्री को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो के पद पर अस्थायी रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2006

फा. क्र. 11703/3(बी)/49/2005/21-ब, (मेरिट क्रमांक-49).—राज्य शासन, श्री मुकेश कुमार पात्रे आत्मज श्री गोपाल प्रसाद पात्रे को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो के पद पर अस्थायी रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2006

फा. क्र. 11705/3(बी)/59/2005/21-ब, (मेरिट क्रमांक-59).—राज्य शासन, श्री अनिल कुमार बारा आत्मज श्री रामानुस बारा को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो के पद पर अस्थायी रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2006

फा. क्र. 11707/3(बी)/58/2005/21-ब, (मेरिट क्रमांक-58).—राज्य शासन, श्री जगदीश राम आत्मज स्व. श्री दुखनाथ राम को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो के पद पर अस्थायी रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2006

फा. क्र. 11709/3(बी)/53/2005/21-ब, (मेरिट क्रमांक-53).—राज्य शासन, श्री प्रमोद सिंह परस्ते आत्मज श्री पी. एस. परस्ते को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो के पद पर अस्थायी रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2006

फा. क्र. 11711/3(बी)/60/2005/21-ब, (मेरिट क्रमांक-60).—राज्य शासन, कु. मोहनी कंवर आत्मजा श्री एम. एस. कंवर को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो के पद पर अस्थायी रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2006

फा. क्र. 11713/3(बी)/48/2005/21-ब, (मेरिट क्रमांक-48).—राज्य शासन, श्री यशपाल सिंह टण्डन आत्मज श्री जादूलाल टण्डन को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो के पद पर अस्थायी रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2006

फा. क्र. 11715/3(बी)/47/2005/21-ब, (मेरिट क्रमांक-47).—राज्य शासन, श्री किरण कुमार जांगड़े आत्मज श्री रामायण लाल जांगड़े को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो के पद पर अस्थायी रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2006

फा. क्र. 11717/3(बी)/54/2005/21-ब, (मेरिट क्रमांक-54).—राज्य शासन, कु. संजया रात्रे आत्मजा श्री टी. पी. रात्रे को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो के पद पर अस्थायी रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2006

फा. क्र. 11719/3(बी)/55/2005/21-ब, (मेरिट क्रमांक-55).—राज्य शासन, श्री राकेश कुमार सोम आत्मज श्री तेजपाल सोम को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो के पद पर अस्थायी रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में एतदद्वारा नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2006

फा. क्र. 11721/3(बी)/52/2005/21-ब, (मेरिट क्रमांक-52).—राज्य शासन, कुमारी योगिता गढ़पायले आत्मजा श्री बाबूलाल गढ़पायले को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो के पद पर अस्थायी रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्री टी. पी. शर्मा, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 25 सितम्बर 2006

क्र./11791/डी-2307/21-ब/छ.ग./2006.—राज्य शासन, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 477/दो-15-30/2002/गोपनीय/06 दिनांक 12-9-2006 के अनुपालन में श्री सतीश कुमार सिंह, अति. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कांकेर की सेवाएं छ. ग. उच्च न्यायालय से लेकर वक्फ अधिकरण, रायपुर में पीठासीन अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु आदिमजाति कल्याण विभाग, छ. ग. शासन को आगामी आदेश तक सौंपी जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सामंत राय, अतिरिक्त सचिव.

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2006

क्रमांक /एफ-2-20/02/एम.—जिला रायपुर एवं महासमुंद के अंतर्गत डायमण्ड एण्ड एसोसिएटेड मिनरल्स के अन्वेषण हेतु 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिये मेसर्स डी बियर्स इंडिया प्रा. लि. के पक्ष में दिनांक 23-9-2002 को स्वीकृत रिकॉनेसन्स परमिट के अनुबंध का निष्पादन दिनांक 20-12-2002 को हुआ था.

2. कम्पनी ने अनुबंध निष्पादन की तिथि से 3 वर्ष की अवधि की समाप्ति पर, एम.सी.आर. 1960 के नियम 7 (1) (i) के तहत कंपनी के पक्ष में 1000 वर्ग किलोमीटर में स्वीकृत रिकॉनेसन्स परमिट का संपूर्ण क्षेत्र आरपी हेतु खाली हो गया है.

3. खाली हुए क्षेत्र के अक्षांश-देशांश नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है.

तालिका
(टोपोशीट क्र. 64 K का भाग)

S. No.	Point	Longitudes	Latitudes	S. No.	Point	Longitudes	Latitudes
1.	A	82°12'23"	21°33'51"	4.	D	82°11'42"	21°17'02"
2.	B	82°20'01"	21°36'26"	5.	E	82°16'23"	21°29'40"
3.	C	82°37'08"	21°17'02"	E to A northwards			

4. उपर्युक्त तालिका में अंकित अक्षांश-देशांश के तहत आने वाले क्षेत्र को खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 59 (1) (ii) के अंतर्गत रिकॉनेसन्स परमिट स्वीकृति हेतु खुला घोषित किया जाता है.

5. उक्त क्षेत्र छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने के 30 दिवस पश्चात् रिकॉनेसन्स परमिट के पुन: अनुदान हेतु उपलब्ध होगा.

रायपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2006

क्रमांक /एफ-2-21/02/एम.—जिला दुर्ग, धमतरी एवं कांकेर के अंतर्गत डायमण्ड एण्ड एसोसिएटेड मिनरल्स के अन्वेषण हेतु 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिये मेसर्स डी बियर्स इंडिया प्रा. लि. के पक्ष में दिनांक 23-9-2002 को स्वीकृत रिकॉनेसन्स परमिट के अनुबंध का निष्पादन दिनांक 20-12-2002 को हुआ था.

2. कम्पनी ने अनुबंध निष्पादन की तिथि से 3 वर्ष की अवधि की समाप्ति पर, एम.सी.आर. 1960 के नियम 7 (1) (i) के तहत कंपनी के पक्ष में रिकानेसन्स परमिट के लिए स्वीकृत 2000 वर्ग किलोमीटर का संपूर्ण क्षेत्र खाली हो गया है.

3. खाली हुए क्षेत्र के अक्षांश-देशांश निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित है.

तालिका
(टोपोशीट क्र. 64 H का भाग)

S. No.	Point	Longitudes	Latitudes	S. No.	Point	Longitudes	Latitudes
1.	A	81°12'50"	20°59'52"	3.	C	81°30'27"	20°17'08"
2.	B	81°32'42"	20°51'43"	4.	D	81°12'51"	20°25'34"
D to A northward							

4. उक्त तालिका में उल्लिखित अक्षांश-देशांश के तहत आने वाले क्षेत्र को खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 59 (1) (ii) के अंतर्गत रिकॉनेसन्स परमिट के लिए खुला घोषित किया जाता है.

5. उक्त क्षेत्र छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने के 30 दिवस पश्चात् रिकॉनेसन्स परमिट के पुन: अनुदान हेतु उपलब्ध होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, संयुक्त सचिव.

जनसंपर्क विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2006

क्रमांक 2555/जसंवि/24/पत्र. क. स.—छत्तीसगढ़ पत्रकार कल्याण कोष समिति के संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन छत्तीसगढ़ पत्रकार कल्याण कोष समिति का गठन कर निम्नानुसार प्रतिनिधि पत्रकारों को सदस्य के रूप में नियुक्त करता है :—

1. श्री तुषार कांति बोस, प्रधान संपादक, दैनिक दण्डकारण्य समाचार जगदलपुर
2. श्री अनल प्रकाश शुक्ल, संपादक, दैनिक नवभारत, रायपुर
3. श्री परितोष चक्रवर्ती, संपादक, दैनिक जनसत्ता, रायपुर
4. श्री सुशील कोठारी, संपादक, दैनिक सवेरा संकेत, राजनांदगांव
5. श्री सुनील नामदेव, ब्यूरो चीफ, आज तक (टी. व्ही. न्यूज) रायपुर

पत्रकार कल्याण कोष समिति के सदस्य सचिव अपर संचालक, जनसंपर्क होंगे. समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा.

रायपुर, दिनांक 7 अक्टूबर 2006

क्रमांक 2658/जसं/24/2006.—क्रमांक एच-1177/2001/जसं/2004, राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27 अप्रैल 2001 छत्तीसगढ़ राजपत्र भाग-एक अंतिम नियम दिनांक 27 अप्रैल 2001 को प्रकाशित छत्तीसगढ़ समाचार पत्र प्रतिनिधि अधिमान्यता नियम-चार के अनुसार राज्य स्तरीय अधिमान्यता समिति के लिये निम्नानुसार समिति गठित करता है :—

1.	श्री हिमांशु द्विवेदी	-	प्रबंध संपादक, दैनिक हरिभूमि
2.	श्री राजीव रंजन श्रीवास्तव	-	संपादक, दैनिक देशबंधु
3.	श्री सुनील कुमार	-	संपादक, दैनिक छत्तीसगढ़
4.	श्री रवि भोई	-	संपादक, दैनिक नई दुनिया
5.	श्री रितेश साहू	-	ब्यूरो चीफ, एन. डी. टी. वी.
6.	श्री यशवंत धोटे	-	संवाददाता, आउटलुक

रायपुर, दिनांक 7 अक्टूबर 2006

क्रमांक 2660/एच/जसंवि/2006.—राज्य शासन इस विभाग के अधिसूचना दिनांक 27 अप्रैल 2001 छत्तीसगढ़ राजपत्र भाग-एक प्रकाशित नियम 4 (1, 2) जिला स्तरीय अधिमान्यता के लिए निम्नानुसार संभागवार समितियां गठित करता हैं :—

रायपुर संभाग—

1. श्री अशोक पांडे, संपादक, दैनिक नांदगांव टाईम्स, राजनांदगांव
2. श्री मोहन राव, सह संपादक, दैनिक नवभारत, रायपुर
3. श्री धनंजय वर्मा, सह संपादक, दैनिक भास्कर, रायपुर
4. श्री शिरीष मिश्रा, सह संपादक, यू. एन. आई., रायपुर
5. श्री सुनील सिंह, सह संपादक, दैनिक जनसत्ता, रायपुर
6. श्री के. के. शर्मा, सह संपादक, दैनिक अग्रदूत, रायपुर
7. श्री श्रीकांत साकलकर, चीफ रिपोर्टर, दैनिक हितवाद, रायपुर
8. श्री प्रकाश जैन, प्रतिनिधि, दैनिक देशबन्धु, दुर्ग

बिलासपुर संभाग—

1. श्री शशिकांत कोन्हेर, सह संपादक, दैनिक नवभारत, बिलासपुर
2. श्री सूर्यकांत चतुर्वेदी, सह संपादक, दैनिक भास्कर, बिलासपुर
3. श्री गोपाल असावा, संपादक, दैनिक अम्बिकावाणी, अम्बिकापुर
4. श्री हेमंत थवाईत, संपादक, दैनिक केलो प्रवाह, रायगढ़
5. श्री गेंदलाल शुक्ला, संपादक, दैनिक लोक स्वर, कोरबा
6. श्री निर्मल माणिक, सह संपादक, दैनिक देशबन्धु, बिलासपुर
7. श्री गणेश विश्वकर्मा, सह संपादक, दैनिक हरिभूमि, बिलासपुर
8. श्री कैलाश अवस्थी, सह संपादक, दैनिक प्रतिदिन राजधानी, बिलासपुर

बस्तर संभाग—

1. श्री बंशीलाल शर्मा, संवाददाता, दैनिक भास्कर, कांकेर
2. श्री सुरेश महापात्र, ब्यूरो चीफ, दैनिक भास्कर, दंतेवाड़ा
3. श्री नरेश कुशवाहा, ब्यूरो चीफ, दैनिक हरिभूमि, जगदलपुर
4. श्री एस. करीमुद्दीन, प्रतिनिधि, यू. एन. आई., जगदलपुर
5. श्री बसंत अवस्थी, प्रतिनिधि, दैनिक हितवाद, जगदलपुर
6. श्री यशवंत यादव, प्रतिनिधि, दैनिक नवभारत, दंतेवाड़ा
7. श्रीमती मणिकुंतला बोस, संपादक, दैनिक दण्डकारण्य समाचार, जगदलपुर
8. श्री डी. एस. नियाजी, संपादक, दैनिक हिन्दसत, जगदलपुर

सभी संभागीय समिति में राज्य स्तरीय समिति के दो सदस्य भाग लेंगे. इन सभी संभाग स्तरीय समितियों के संयोजक, संचालक जनसंपर्क द्वारा अधिकृत अपर संचालक/संयुक्त संचालक/उप संचालक जनसंपर्क होंगे. इन समितियों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश कुमार श्रीवास्तव, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 14 अगस्त 2006

प्रकरण क्रमांक 30/ अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिलासपुर	टेकर	5.80	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	अकलतरी जलाशय योजना बांध निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 17 अगस्त 2006

प्रकरण क्रमांक 27/ अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिलासपुर	बरपाली	2.09	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	धौरामुड़ा जलाशय योजना बांध निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 17 अगस्त 2006

प्रकरण क्रमांक 28/ अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिलासपुर	अकलतरी	32.38	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	अकलतरी जलाशय योजना बांध निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 17 अगस्त 2006

प्रकरण क्रमांक 29/ अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिलासपुर	नेवसा	14.41	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	अकलतरी जलाशय योजना बांध निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 26 सितम्बर 2006

क्रमांक 520/प्र. 1/भू-अर्जन/अ.वि.अ./2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	घोठा	15.79	कार्यपालन अभियंता, तांदुला ज/सं. संभाग, दुर्ग.	घोठा जलाशय हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 28 सितम्बर 2006

क्रमांक 1396/प्र. 1/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	पाटन	खुड़मुड़ा प. ह. नं. 5	0.43	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि. (सेतु निर्माण) रायपुर.	पहुंच मार्ग हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, पाटन, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दंतेवाड़ा, दिनांक 22 सितम्बर 2006

क्रमांक/4272/क/भू-अर्जन/07/अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	दन्तेवाड़ा	हारम	5.78	कमान अधिकारी, सीमा सड़क संगठन, कैंप कारली.	राष्ट्रीय राजमार्ग-16 के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. पिस्दा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, ज़िला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

धमतरी, दिनांक 29 सितम्बर 2006

क्रमांक 9928/क/भू-अर्जन/09 अ/82 वर्ष 05/06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	धमतरी	लिमतरा	0.40	कार्यपालन अभियंता, म.ज.प. बांध संभाग क्र. 2, रूद्री जिला धमतरी.	महानदी मुख्य नहर के लिमतरा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

धमतरी, दिनांक 29 सितम्बर 2006

क्रमांक 9930/क/भू-अर्जन/10 अ/82 वर्ष 05/06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	कुरूद	सिलघट	0.11	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण, संभाग, रायपुर.	खारून नदी सेतु के पहुंच मार्ग हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. पी. एस. नेताम, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 14 सितम्बर 2006

प्र. क्र. 51 अ 82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	भिंभौरी प.ह.नं. 55	7.206	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग, सहसपुर लोहारा जिला-कबीरधाम.	सुतियापाट परियोजना अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 14 सितम्बर 2006

प्र. क्र. 52 अ 82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	रक्से प.ह.नं. 57	11.656	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग, सहसपुर लोहारा जिला-कबीरधाम.	सुतियापाट मध्यम परियोजना अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 8 सितम्बर 2006

क्र. 4-अ/82/04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-बिटकुली, प. ह. नं. 1
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.694 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
78	0.142
63/10	0.053
63/3	0.053
63/4	0.053
44	0.073
39	0.004
45/2	0.053
46	0.162
33	0.085
83	0.045
49/5	0.036
179/3	0.170
41/1	0.040
41/3	0.121
38	0.004
35/1	0.040
35/2	0.040
32/3	0.081
47	0.061
34	0.061
32/1	0.093
31	0.105
179/1	0.004
182/3	0.016
179/2	0.008
179/4	0.061
182/3	0.093
192/2	0.142
63/7	0.028
191	0.222
6/1 ङ	0.166
43/4	0.040
6/1 ड/2	0.040
6/5	0.069
6/1 ख	0.194
43/1	0.036
योग	2.694

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बिटकुली माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अ.वि.अ. (रा.) कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 8 सितम्बर 2006

क्र. 5-अ/82/04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-अटड्डा, प. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.267 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2	0.230
5	0.061
6/3	0.113
6/2	0.045
8/3	0.061
6/1	0.028
8/1	0.109
67	0.146
15	0.150
36/2	0.073
39, 40	0.008
38/1	0.020
50/1	0.150
37	0.020
51	0.170
36/6	0.040
36/3	0.008
57/1	0.101
55	0.040
68	0.093
69/3	0.040
71	0.040
74	0.085
580	0.053
577	0.081
561/2	0.134
572/2	0.049
538/2 क	0.073
539/1, 540	0.101
572/1	0.073
517/1	0.020
538/1	0.105
571/1	0.081
570/2	0.125
570/3	0.053
629/4	0.053
638/3	0.061
517/2	0.105
515	0.198
618	0.032
628	0.069
625	0.450
638/1	0.061
635/1	0.077
635/2	0.081
654/19	0.202
636	0.073
652/1	0.105
637	0.073
652/2	0.162
652/3	0.109
656	0.097
658, 659	0.170
657/3	0.045
532	0.032
657/1	0.045
655/1	0.073
654/14	0.259
664/2	0.134
562/2	0.061
638/2	0.065
661/2	0.150
654/15	0.073
56/2	0.049
579	0.061
539/3	0.121
573	0.142
योग	6.267

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अटड्डा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अ.वि.अ. (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 8 सितम्बर 2006

क्र. 10-अ/82/04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-रिंगरिंगा, प. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.380 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
134/1	0.040
143/3	0.162
180/1	0.061
244/2	0.028
180/2	0.053
179/1	0.036
179/2	0.150
172/2	0.049
171	0.109
198	0.097
217/4	0.012
217/2	0.162
199/1	0.032
208/2	0.105
207/6	0.085
207/5	0.089
242/2	0.093
242/1	0.081
199/2	0.146
207/2	0.113
251	0.077
217/3	0.032
213/1	0.081
217/5	0.049
215/2	0.081
213/3	0.081
213/2	0.049
217/10	0.065
217/9	0.012
243	0.101
218	0.049
योग	2.380

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रिंगरिंगा माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अ.वि.अ. (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 8 सितम्बर 2006

क्र. 11-अ/82/04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-पोंड़ी, प. ह. नं. 7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.064 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
381/2	0.045
359	0.036
381/1	0.057
292/1	0.085
292/4	0.085
375	0.032
292/2	0.020
369	0.061
306/1	0.061
306/2	0.040
307	0.012
362	0.024

(1)	(2)
311/2	0.061
361/1	0.057
354	0.186
328/1	0.008
353/4	0.032
309	0.008
353/1	0.073
329/2	0.032
353/2	0.049
योग	1.064

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सलका उद्‌वहन नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अ.वि.अ. (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 8 सितम्बर 2006

क्र. 12-अ/82/04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-जरगां, प. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.140 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
29	0.405
43	0.077
1/8, 66	0.222
28	0.012
39	0.036
58/1	0.028
58/2	0.057
58/3	0.020
58/4	0.020
58/5	0.020
64/1	0.057
64/2	0.049
64/3	0.049
64/4	0.016
38/1	0.032
38/5	0.040
योग	1.140

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोनचरा वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अ.वि.अ. (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 13 सितम्बर 2006

प्रकरण क्रमांक 25/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-लुतरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.33 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
829/1	0.13

(1)	(2)
829/2	0.20
योग 2	0.33

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लीलागर नदी पुल पर पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2006

प्रकरण क्रमांक 18/अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1994 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-तुरकाडीह, प. ह. नं. 31
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.988 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रक़बा (एकड़ में) (2)
458	0.04
460/1	0.02
460/2	0.03
461/1, 461/2	0.10
464/1	0.08
464/2	0.04
576	0.10
582/1	0.03
589/1	0.049
589/2	0.049
590/2	0.15
590/4	0.03
622	0.09
623	0.08
628/1	0.10
योग 15	0.988

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा सेतु/मंगला कोनी पहुंच मार्ग.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 26 सितम्बर 2006

क्रमांक 517/प्र.1/भू-अर्जन/अ.वि.अ./2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-धमधा
- (ग) नगर/ग्राम-रौंदा, प. ह. नं. 1
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.43 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
912	0.05

	(1)	(2)
	991/2	0.08
	991/3	0.08
	991/4	0.10
	1221	0.12
योग	5	0.43

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रौंदा जलाशय हेतु न्यू बायीं तट नहर.

दुर्ग, दिनांक 26 सितम्बर 2006

क्रमांक 523/प्र.1/भू-अर्जन/अ.वि.अ./2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-धमधा
- (ग) नगर/ग्राम-भाठाकोकड़ी, प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.80 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	97	0.14
	670	0.06
	671	0.06
	98	0.09
	678	0.01
	660	0.07
	668	0.06
	659	0.03
	661	0.01
	667	0.03
	666	0.12
	665	0.12
योग		0.80

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- शिव कोकड़ी डायवर्सन हेतु.

दुर्ग, दिनांक 26 सितम्बर 2006

क्रमांक 526/प्र.1/भू-अर्जन/अ.वि.अ./2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-धमधा
- (ग) नगर/ग्राम-धमधा, प. ह. नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.65 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	1919/1	0.15
	1916	0.05
	1908/1	0.04
	1909	0.10
	1907/1	0.05
	1905	0.09
	1904	0.13
	1897	0.04
योग		0.65

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बेंदवन जलाशय हेतु.

दुर्ग, दिनांक 26 सितम्बर 2006

क्रमांक 529/प्र.1/भू-अर्जन/अ.वि.अ./2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-धमधा
- (ग) नगर/ग्राम-राजपुर, प. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.37 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
775	0.04
913	0.01
825	0.48
824	0.04
827/4	0.32
451/1	2.06
427/1	0.24
429/1	0.56
428/6	0.18
428/4	0.16
912	0.28
योग	4.37

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-राजपुर जलाशय हेतु नहर नाली.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 29 अगस्त 2006

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./15/अ-82 वर्ष 2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-आरंग
- (ग) नगर/ग्राम-कुहेरा, प. ह. नं. 70/17
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.372 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
329	0.372
योग	0.372

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-झांझ नवागांव जलाशय योजना के तहत नहर, नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी आरंग, अभनपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 14 सितम्बर 2006

प्रकरण क्रमांक 22 अ 82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-कवर्धा
- (ग) नगर/ग्राम-हरदी, प. ह. नं. 63
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.149 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/1	0.150
2/2	0.049
2/3	0.049
2/4	0.049
2/5	0.048
15	0.182
16/2	0.129
17	0.142
20/1	0.053
21	0.223
22/2	0.008
22/5	0.040
22/6	0.085
22/7	0.053
22/1	0.024
23/1	0.093
24	0.093
26	0.239
27/1	0.081
27/4	0.081
27/5	0.081
27/6	0.089
41	0.210
25/2	0.024
29	0.012
32	0.210
36/3	0.085
35/1	0.162
35/2-3	0.178
185	0.154
186	0.073
योग 31	3.149

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-राजपुर व्यपवर्तन के अंतर्गत नहर-नाली.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 14 सितम्बर 2006

प्रकरण क्रमांक 23 अ 82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-कवर्धा
- (ग) नगर/ग्राम-बीरेन्द्र नगर, प. ह. नं. 61
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.190 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
108	0.008

(1)	(2)
107/1	0.121
107/2	0.093
126/5, 127/5, 128/5	0.129
126/4, 127/4, 128/4	0.170
126/1, 127/1, 128/1	0.008
125/2	0.081
125/5	0.057
125/3	0.057
125/1	0.016
124	0.045
120, 121, 122, 123 / 13	0.093
120/2, 121/2, 122/2, 123/2	0.101
863/1, 864/1, 873/1, 881/1, 874/1	0.146
876/1	0.028
876/2	0.008
878/2	0.004
878/3	0.028
859/4	0.040
859/6	0.040
905/6, 906/6, 907/6, 908/6	0.117
905/1, 906/1, 907/1, 908/1	0.040
905/2, 906/2, 907/2, 908/2	0.057
909/2	0.004
909/3	0.061
910	0.024
858/9	0.089
918/9, 932/9, 933/9	0.040
917	0.174
916/1	0.004
849/1, 850/1	0.081
849/2, 850/2	0.069
849/3, 850/3	0.142
849/4, 850/4	0.154
849/6, 850/6	0.085

(1)	(2)
1012/2	0.186
1012/1	0.077
1013/1	0.016
1023/2	0.073
1024	0.247
1029/2	0.089
1027/1	0.105
1028	0.348
1072	0.186
1075/2	0.053
1076	0.040
1075/3	0.032
1078/1	0.049
1079/2	0.154
1079/1	0.109
1082/2	0.049
1082/4	0.049
1291/2	0.077
1304	0.121
1291/1	0.045
1291/4	0.109
1291/5	0.004
1281/1	0.105
1281/2	0.105
1283/1, 1283/2,1305/1	0.032
1324/1	0.166
1308	0.008
1324/5	0.142
योग 63	5.190

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नवागांव व्यपवर्तन के अंतर्गत नहर-नाली.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 3 अक्टूबर 2006

क्रमांक /7597/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-कासमसुर, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.00 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	85/1	4.00
याग	1	4.00

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मनेरी जलाशय के अंतर्गत बन्ड निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी), जिला-रायगढ़ छ. ग.

रायगढ़, दिनांक 25 सितम्बर 2006

क्रमांक 565/मण्डी निर्वा./अधि. 2005-06.—एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि जिले के कृषि उपज मण्डी समितियों में मण्डी अधिनियम की धारा 11 (1) के विभिन्न खण्डों के अनुसार मण्डी समितियों में सदस्यों के नियमानुसार मण्डी समितिवार नाम-निर्देशन किये गये हैं :—

क्र.	अधिनियम की धारा 11 (1) के खण्ड	57-रायगढ़	58-घरघोड़ा	59-खरसिया	60-सारंगढ़	61-बरमकेला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	खण्ड-घ के अनुसार	माननीय श्री विजय अग्रवाल विधायक	माननीय श्री सत्यानंद राठिया विधायक	माननीय श्री नंदकुमार पटेल विधायक	माननीय सुश्री कामदा जोल्हे विधायक	माननीय डॉ. शक्राजीत नायक विधायक
2.	खण्ड-ङ के अनुसार	-	-	-	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	खण्ड-च के अनुसार	उप संचालक कृषि पदेन	व. कृ. वि. अ. पदेन	व. कृ. वि. अ. पदेन	व. कृ. वि. अ. पदेन	व. कृ. वि. अ. पदेन
4.	खण्ड-छ के अनुसार	श्री अनुदराम लहरे	श्री राजाराम उराव	श्री अच्छेराम	श्री छेडूराम पटेल	श्री मिलन राणा
5.	खण्ड-झ के अनुसार	–	–	–	–	
6.	खण्ड-ञ के अनुसार		श्री अरूण राय जिला पंचायत सदस्य	श्री द्वारिका राठौर जनपद पंचायत सदस्य	श्रीमती प्रेमा अजगल्ले जिला पंचायत सदस्य	श्रीमती कल्याणी पाणिग्रही जिला पंचायत सदस्य

एस. के. राजू,
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी)

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 19th September 2006

No. 119/II-15-19/2002.—In exercise of the powers conferred by clause (2) of the Article 229 of the Constitution of India, the Chief Justice of the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur, makes the following amendments in the Chhattisgarh High Court Establishment (Appointment and Conditions of Service) Rules, 2003 which shall come into force with immediate effect :—

AMENDMENTS

The existing Rules 6 (7) (a), 6 (7) (b) and 6 (7) (c) in Part-V of Chhattisgarh High Court Establishment (Appointment and Conditions of Service) Rule, 2003 is substituted by the following new Rules 6 (7) (a), 6 (7) (b) and 6 (7) (c) :—

S. N. (1)	Name of the Post (2)	Source & Method of Appointment (3)	Minimum Qualification & experience (4)
7. (a)	Assistant Grade-III	1. 85% posts shall be filled up by direct recruitment through competitive examination.	1. Must be a Graduate from any recognised University and;

(1)	(2)	(3)	(4)
		2. 15% posts shall be filled up by promotion from amongst qualified Class-IV employees subject to suitability through departmental examination.	2. One year diploma course in computer from I. T. I. or any equivalent recognized board/University. In case of promotion from class IV employees, the above requirement shall not be necessary but the candidate must have working knowledge on computer. 3. Knowledge of English and Hindi Typing (with proof).
7. (b)	Assistant Grade-III (Computer)	1. 85% posts shall be filled up by direct recruitment through competitive examination.	1. Must be a Graduate from any recognised University and:
		2. 15% posts shall be filled up by promotion from amongst the qualified Class-IV employees subject to suitability through departmental examination.	2. Post Graduate Diploma in Computer from any institution recognised by a University. (recognised by the University Grants Commisstion).
7. (c)	Assistant Grade-III (Photocopy Operator)	1. 85% posts shall be filled up by direct recruitment through competitive examination.	1. Must be a Graduate from any recognised University and:
		2. 15% posts shall be filled up by promotion from amongst the qualified Class-IV employees subject to suitability through departmental examination.	2. Two years working experience of Photocopy machine operation. *Preference will be given to those candidates who have any Certificate in Photocopy Machine Operation and Maintenance.

Bilaspur, the 20th September 2006

No. 12/Comp./2006.—In the matter of departmental enquiry against Shri Virendra Kumar Chanakya, the then Civil Judge Class I and Additional Chief Judicial Magistrate, Dongargarh, presently under suspension with headquarters at Rajnandgaon (C. G.), the High Court of Chhattisgarh, after considering the enquiry report and reply thereof submitted by the delinquent officer, holds him guilty of the charges found proved againts him by the Inquiring Authority and has pleased to order that ;

1. To impose minor penalty of "Censor" on him.

2. Order of his suspension be revoked and he be reinstated in service from the date he assumes his duty with the original seniority as he was holding on his date of suspension i. e. 28-04-2005. He be attached with the office of the District and Sessions Judge, Rajnandgaon (C. G.) until further orders.

3. He shall not be entitled for any wages for his suspension period, other then the subsistence allowance already paid to him.

4. Period of his suspension i. e. from 28-04-2005 to the date he assumes his duty, shall be counted as period on duty for the purpose of pension only.

By the order of Hon'ble High Court.
RAM KRISHNA BEHAR, Registrar General.